



HAMIRPUR POLICE



थाना राठ

दिनांक 01.08.2022

गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधी की ₹03,03,59,452/- (तीन करोड़ तीन लाख उनसठ हजार चार सौ बाबन रुपये) की संपत्ति कुर्क

जनपद पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु व अपराधिक कृत्यों से चल/अचल संपत्ति के जब्तीकरण हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना राठ पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए **गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त राम प्रकाश गुप्ता उर्फ पप्पू झिन्ना पुत्र श्री दुलीचन्द गुप्ता** निवासी मु0 सिकन्दरपुरा कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर की चालानी रिपोर्ट थाना चिकासी जनपद हमीरपुर के विरुद्ध धारा-14 (1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही कर उपरोक्त **अभियुक्त की सम्पत्ति कुल कीमत ₹03,03,59,452/- (तीन करोड़ तीन लाख उनसठ हजार चार सौ बाबन रुपये) कुर्क** की गई।

उपरोक्त अभियुक्त राम प्रकाश गुप्ता उर्फ पप्पू झिन्ना आईपीसी के अध्याय 16, 17 में 22 वर्णित अपराध कारित करने का पेशेवर अपराधी है, इसके द्वारा वर्ष 2010 से आपराधिक क्रिया कलापों में संलग्न रहकर कई घटनाएं कारित की गई है, उपरोक्त अभियुक्त राम प्रकाश गुप्ता उर्फ पप्पू झिन्ना के जीवकोपार्जन हेतु आय का कोई संशाधन/स्रोत नहीं है। इसके पिता साधारण किसान एवं माता गृहिणी हैं, इसके द्वारा अपराध जगत से सम्पत्ति अर्जित की गयी है। यह अपने व अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिल कर आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए अवैध तरीके से अवैध गुटखा फैक्ट्री चलाता है। यह मिलावटी गुटखा को असली गुटखा के सदृश्य बनाकर उसके बाजार में विक्री कर अवैध रूप से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के साथ-साथ लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसके द्वारा वर्ष 2010 से कृत अपराधिक गतिविधियों द्वारा अकूत धन अर्जित कर अपने व अपनी पत्नी श्रीमती गीता गुप्ता के नाम चल-अचल सम्पत्ति का उपयोग एवं उपभोग कर जघन्य अपराध कारित करता है तथा समाज में दहशत पैदा की जा रही है, जिसके अंतर्गत उक्त अपराधी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई थी।

अभियुक्त की अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति की कुर्की का पूर्ण विवरण:-

क्र०सं०	सम्पत्ति का विवरण	अनुमानित कीमत
01	मकान 300 वर्ग मी०	42,90,000/-
02	दुकान 125 वर्ग मी०	1,49,00,927/-
03	शेष भू-भाग खेत 0.3327 हे०	
04	मो०सा० सुपर स्पलैन्डर कैनवास	95,121/-
05	मो०सा० सुपर स्पलैन्डर	95,121/-
06	स्कूटर मैस्ट्रो एज 125	1,04,553/-
07	मो०सा० हीरो एक्सट्रीम 160	1,48,892/-
08	एसबीआई गल्ला मंडी	51,728/-
09	एक्सिस बैंक(अंजली ट्रेडिंग कं०)	3,31,548/-
10	मकान 24.5 वर्ग मी०	7,96,250/-
11	मकान 255 वर्ग मी०	36,46,500/-
12	प्लॉट 93 वर्ग मी०	10,51,038/-
13	लोक निर्माण विभाग द्वारा मूल्यांकित की गई सम्पत्ति का विवरण	48,47,672/-
कुल योग		₹03,03,59,452

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 1) मु०अ०सं०-1083/2010, धारा-147/232/224/332/353/272/273 आईपीसी व 2/3 खेसारी अधिनियम,
- 2) मु०अ०सं०-456/2021, धारा-272/420/467/468/471 आईपीसी व 56 खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम,
- 3) मु०अ०सं०-163/2021, धारा-420/467/468/471/272/273/353 व 56 खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम,
- 4) मु०अ०सं०- 76/2022, धारा-2/3 गैंग स्टर एक्ट।